श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2016 को बुडको के ADB संपोषित जलापूर्ति परियोजना संबंधी समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 15.07.2016 को बुडको के ADB संपोषित जलापूर्ति परियोजना की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें प्रबंधक निदेशक, बुडको, मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, परियोजना निदेशक, बुडको एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. दिनांक 26.04.2016 को भागलपुर में ADB संपोषित जलापूर्ति परियोजना संबंधी बैठक एवं स्थल निरीक्षण के क्रम में संवेदक "पैन इंडिया इंफ्राप्रोजेक्ट प्राइवेट लि०–रैन हिल यूटिलिटिज, एस०डी०एन०, बी०एच०डी०, कंसोटियम" को निर्देश दिया गया था कि भिन्न–भिन्न क्षमता के मोटर एवं अन्य आवश्यक स्पेयर पार्ट्स अतिरिक्त रखा जाय ताकि खराब होने की स्थिति में तत्काल बदला जा सके। यह भी निर्देश दिया गया था कि वर्तमान वर्ष के लक्ष्य को भागों में विभाजित करके Milestones निर्धारित किया जाय एवं उक्त के संबंध में अनुपालन से प्रबंध निदेशक, बुडको को सूचित करेंगे।

बैठक में प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि इसके अनुपालन की सूचना बुडको को प्राप्त नहीं हुई है। भागलपुर जलापूर्ति के प्रभारी परियोजना निदेशक द्वारा भी इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी। प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि उक्त निर्देश का अनुपालन एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने हेतु संवेदक को नोटिस निर्गत किया जाय एवं अनुपालन नहीं होने की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

3. ए०डी०बी० संपोषित जलापूर्ति परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रबंधक निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक 15 दिनों पर कार्य ससमय पूर्ण करने हेतु संवेदक एवं Supervision Consultancy को नोटिस दिया जाय एवं इससे अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाय।

4. Water Testing के संबंध में भागलपुर जलापूर्ति के प्रभारी परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस संबंध में संवेदक को नोटिस निर्गत की गयी है।

भागलपुर जलापूर्ति के प्रभारी परियोजना निदेशक को निर्देश दिया गया कि यदि उनके द्वारा संवेदक को कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु साप्ताहिक नोटिस निर्गत नहीं की जाती है तो यह माना जाएगा कि वे कार्य के प्रति गंभीर नहीं हैं और उन पर अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वे साप्ताहिक नोटिस की सूचना प्रबंध निदेशक, बुडको एवं अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे।

5. बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि भागलपुर जलापूर्ति परियोजना से संबंधित कर्मी सामान्यतः स्थल पर उपस्थित नहीं रहते हैं।

प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि वे प्रतिदिन सभी संबंधित कर्मियों की उपस्थिति की समीक्षा करेंगे और साप्ताहिक तौर पर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे तथा जो कर्मी अनुपस्थित पाये जाते हैं, उनके विरूद्ध संविदा रद्द करने/अनुशासनिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निर्देश दिया गया कि वे ए०डी०बी० भागलपुर एवं गया जलापूर्ति परियोजना से संबंधित परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक एवं अन्य कर्मियों के बीच स्पष्ट रूप से कार्य का विभाजन एक सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे।

6. बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि भागलपुर जलापूर्ति परियोजनांतर्गत Consultancy Company को Annual Maintenance के लिए 55.00 लाख रूपये की राशि प्रतिमाह भुगतान की जा रही है।

निर्देश दिया गया कि भुगतान से संबंधित विपत्र तथा उनके द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यो की विवरणी पूर्ण तथ्यों के साथ एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

7. परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि Water Quality के संबंध में Adverse Report प्राप्त हुए हैं एवं इस संबंध में संवेदक को नोटिस भी निर्गत किया गया है।

प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि यदि संवेदक द्वारा इसे शीघ्र ही ठीक नहीं कराया जाता है तो उनके विरूद्ध FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी, इससे उन्हें अवगत करा दिया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

15/7/2011

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–4563 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 18/7/16

प्रतिलिपि :– अपर सचिव/सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना/ए०डी०बी० सेल, बुडको, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/7/2011

प्रधान सचिव

01